/

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः	ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्याः	146 / 2025
जीसीएमएस संख्याः	2025 / 277
निर्णय दिनांकः	31.10.2025
दायर दिनांकः	08.08.2025

1. नोरंगसिंह पुत्र मूलसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम राजियासर मीठा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

................वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

.................प्रतिवादी

उपस्थितः

1. वादी अधिवक्ता श्री डुंगरसिंह।
2. प्रतिवादी पैरोकार राज।

दावा रिकॉर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–ःनिर्णयः–

संक्षिप्त में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि रोही ग्राम हरासर में खाता संख्या 38 के खेत ख0नं0 391 तादादी 4.6407 है0 व ख0नं0 392 तादादी 2.0232 है0 कुल किता दो कुल तादादी 6.6639 है0 वादी के सहखातेदारी में दर्ज स्थित है जिसमें वादी का नाम नारायणसिंह पुत्र मुलसिंह जाति राजपूत दर्ज है। जबकि वादी का वास्तविक नाम नोरंगसिंह पुत्र मुलसिंह जाति राजपूत है। वादी के अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड आदि दस्तावेजों में वादी का नाम नोरंगसिंह पुत्र मुलसिंह ही अंकित है।

वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण वादी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण वादी की खातेदारी भूमि में वादी का नाम दुरस्त करवाना वादी के लिए आवश्यक है।

वादी का खेत रोही ग्राम हरासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में होने के कारण प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है।

राजस्व वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के दस्तोवजों वादी के दस्तावेजों में नाम नोरंगसिंह पुत्र मूलसिंह दर्ज दर्ज है। वादी नोरंगसिंह व नारायणसिंह दोनों एक ही व्यक्ति है अलग अलग नहीं है। अतः तहसीलदार सुजानगढ़ द्वारा वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में नोरंगसिंह पुत्र मूलसिंह दुरस्त किये जाने की अभिशंषा की गयी।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, पैनकार्ड, आदि में वादी का नाम नोरंगसिंह पुत्र मूलसिंह अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार दावा वादी अंतिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

—:आदेश:—

दावा वादी अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि वादगत भूमि के राजस्व रिकोर्ड में वादी का नाम वर्तमान में गलत अंकित है। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि में दर्ज खातेदार का नाम निम्नानुसार दुरूस्त किया जावे।

क्रं. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	हरासर	38	नारायणसिंह	नोरंग सिंह

अन्य कोई प्रविष्ठि तथा रहन की प्रविष्ठि (यदि हो तो) यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2025 को टंकित करवाया जाकर सरेआम इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

डिकरी ब मुकदमेंइब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)
(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी मुकाम सुजानगढ़**
वइजलास **श्री ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस**

नोरंगसिंह बनाम राजस्थान सरकार
दावा रेकार्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
मुकदमा न0 146 सन 2025
जीसीएमएस संख्या 2025/277

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु ....हाजरी श्री डुंगरसिंह एडवोकेट, .मिनजानिब मुद्दई व पैरोकार राज़ मिनजानिबमुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है व तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि के राजस्व रिकोर्ड में वादी का नाम वर्तमान में गलत अंकित है। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि में दर्ज खातेदार का नाम निम्नानुसार दुरुस्त किया जावे।

क्रं. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	हरासर	38	नारायणसिंह	नोरंग सिंह

अन्य कोई प्रविष्ठि तथा रहन की प्रविष्ठि (यदि हो तो) यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

चीज.. मुबलिग .... बाबत ....
खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना
आज की तारीख से तारीख व सूलमाबी तक ....
.... को अदा करे।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31 **माह 10 सन 2025**

दस्तखत ....
ओहदा ....

मुहर

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्पवकालतनामा स्टाम्पवजहसबूत महनताना वकील खर्चागवाहान फीसकमिश्नर बाबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्पबकालतनामा स्टाम्पअर्जी महनतानावकीलपर खर्चागवाहान फीसकमिश्नर बावतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोट : खर्च के फार्मपरकुल खर्चाहरदोफरीकेनका, चाहेडिकरी के जरियेदिलायागयाहो या नही दर्जकरनाचाहिये ।